## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
## पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 61/2019 (2019/00197) वाद पत्र

अनवान

1—शांतिलाल पिता कनकमल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

**बनाम**

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रतिवादी**

## वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 रा0 टि0 एक्ट

1 उपस्थित —जाकिर हुसैन अधिवक्ता वादी

## निर्णय

दिनांक 03.03.2020

उक्त प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा के बैरून हल्का आबादी में साबिक खाता संख्या 413 में अंकित आराजी संख्या 346/3क रकबा 2 बीघा, आराजी संख्या 346/4क रकबा 3 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा भूमियां स्थित हैं। उक्त भूमि पूर्व में मोहनलाल पिता भैरूलाल महाजन के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिस पर मोहनलाल काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे। उक्त दोनो साबिक नम्बर को साबिक नक्शें में कही तरमीम नहीं किया था परन्तु मोहनलाल करीब 40—50 वर्षों से अपनी भूमि पर थोर की बाड़ कर काबिज चला आ रहा था। उक्त भूमि दिनांक 20.06.2011 को जरिये रजिस्टर्ड वसीयत वादी के नाम दर्ज की गई तथा वादी भी मौके पर साबिक कब्जे अनुसार ही काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं। प्रमाण में साबिक जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 व साबिक नक्शा ट्रेस की नकल पेश की हैं। तहसील रायपुर में भू—प्रबन्ध होने से ग्राम नान्दशा में भी भू—प्रबन्ध हुआ जिससे वादपत्र की कलम संख्या 1 में अंकित वादग्रस्त साबिक कृषि आराजियात के नवीन नम्बर 1065 रकबा 1.08 है0 कायम किये गये । प्रमाण में वर्तमान जमाबंदी नवीन नक्शा ट्रेस, मिलान क्षैत्रफल की नकल पेश की। भू—प्रबन्ध के दौरान भू—प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने वादी की साबिक कृषि आराजियात के नवीन नम्बर एवं रकबा तो सही कायम किया परन्तु वादी की नवीन आराजी संख्या 1065 रकबा 1.08 है0 का रकबा नवीन नक्शें में 0.25 है0 कम करते हुए वादी की भूमि आराजी संख्या 1234 में मिला दिया जो गलत होकर अवैध हैं। भू—प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बिना किसी विधिक आदेश के वादी की भूमि का रकबा नवीन नक्शे में कम करने का कोई अधिकार नहीं हैं। वादी मौके पर अपनी आराजी संख्या 1065 रकबा 1.08 है0 पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं तथा वादी ने अपनी भूमि के चारो तरफ थोरों की बाड़ कर रखी हैं। भू—प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उक्त कृत्य विधि विरूद्ध है जिससे वादी की नवीन आराजी संख्या 1065 रकबा 1.08 है0 का नवीन नक्शे में रकबा 1.08 है0 करने की इन्द्राज दुरूस्ती की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया हैं। वादी की नवीन आराजी संख्या 1065 रकबा 1.08 है0 का रकबा नवीन नक्शे में कम कर देने से प्रतिवादी द्वारा आये दिन वादी को उसके कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1065 रकबा 1.08 है0 से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। जिससे बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमया जाकर ग्राम नान्दशा की नवीन आराजी संख्या 1065 रकबा 1.08 हैं. का नवीन नक्शे में मौके एवं कब्जे अनुसार रकबा कमी पूर्ति करते हुए 1. 08 है0 रकबा दर्ज करने की इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री जारी फरमाई जावें। तथा साथ ही विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा फरवाई जावें कि प्रतिवादी वादी को अपने खातेदारी भूमि में शांति पूर्वक

उपयोग उपभोग करने देंवे। तथा कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखंलदाजी नहीं करे। वादी का वाद स्वीकर फरमावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 03.09.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नाटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रतिवादी तहसीलदार रायपुर द्वारा जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की ग्राम नान्दशा की आराजी संख्या 1065 रकबा 1.08 है0, का राजस्व नक्शे में रकबा 0.83 है0 ही बनता हैं। जबकि मौके पर वादी का कब्जा जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार है। इसके साथ लगी हुई आराजी संख्या 1234 रकबा 1.00 है. जो राजस्व रेकार्ड में चरागाह के नाम से दर्ज हैं। आराजी संख्या 1234 के रकबा 1.00 है0 में से 0.25 है. भूमि जो वादी की आराजी संख्या 1065 से सटी हुई होकर वादी के कब्जे काश्त में हैं। और इस प्रकार वादी का जमाबन्दी में दर्ज रकबा अनुसार राजस्व नक्शे में रकबा दर्ज में कोई आपत्ति नहीं हैं। आराजी नम्बर 1234 का रकबा 1.00 है0 मे से 0.25 है0 कम होने पर भी आराजी नम्बर 1234 का रकबा जमाबन्दी रेकार्ड एवं नक्शे अनुसार बराबर रहता है। मौका रिपोर्ट पत्रावली में सलग्न की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस वाद में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार राजस्व नक्शें को दुरुस्त की इस्तदुआ की ।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी के अधिकवक्ता की बहस सुनी गई। एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन कर मनन किया, तो पाया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित भूमि आराजी संख्या 1065 का राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी रकबा 1.08 है0, दर्ज हैं तथा राजस्व नक्शें में आराजी संख्या 1065 की जो आकृति बना रखी हैं, उसका रकबा बरारी करने पर 0.83 है0 भूमि का ही नक्शा बना रखा हैं। कमी रकबा आराजी नम्बर 1034 मे से 0.25 है0 को अलग कलर से दर्शाया गया है जिस पर प्रार्थी कब्जा है को प्रार्थी की आराजी नम्बर 1065 में मिलाने पर आराजी संख्या 1234 में रकबा जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार बदस्तुर रहेगा प्रस्तावित 0.25 है0 रकबा आराजी संख्या 1234 में बेशी दर्शाया गया है जिसको राजस्व नक्शें में कमी रकबा की पूर्ति वादी के कब्जे अनुसार की जाना आवश्यक हैं। तथा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी राजस्व नक्शें में आराजी संख्या 1065 का नक्शा जो दर्शाया गया हैं। उसको जमाबन्दी में दर्ज रकबे की सीमा तक संशोधित किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

## आदेश

अतः उक्त प्रकरण में वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा की आराजी संख्या 1065 रकबा 1.08 है0 भूमि राजस्व जमाबन्दी में दर्ज रेकार्ड हैं, जबकि वर्तमान राजस्व नक्शें में आराजी संख्या 1065 का रकबा बरारी करने पर 0.83 है0 ही बनता है जिससे आराजी संख्या 1065 की उत्तरी सीमा की लाईन को डिलीट करते हुए आराजी संख्या 1065 का जमाबन्दी मे दर्ज अनुसार रकबा 1.08 है0 की सीमा तक राजस्व नक्शे को दुरस्त किया जावे। आराजी संख्या 1234 का रकबा 1.00 है0 आराजी नम्बर 1065 के उत्तरी पूर्वी सीमा से पूर्व एवं आराजी संख्या 1083 की उत्तरी तरफ अंकित नक्शे अनुसार आराजी संख्या 1234 का रकबा 1.00 है0 बदस्तुर रेकार्ड यथावत रखा जावें। इसी अनुसार राजस्व नक्शे में दुरस्ती की जाकर अन्तिम डिकी जारी हो। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

3.3.2020

(सुन्दरलाल बम्बोड़ा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाडा (राज)**

**पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.**

मुकदमा नम्बरः–61/19 (2019/00197) वाद पत्र

**अनवान**

1–शांतिलाल पिता कनकमल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**वादी**

**बनाम**

1–राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

**विपक्षी**

**वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी का वाद स्वीकार कर तहसीलदार रायपुर को आदेशित दिया जाता हैं कि ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा की आराजी संख्या 1065 रकबा 1.08 है0 भूमि राजस्व जमाबन्दी में दर्ज रेकार्ड हैं, जबकि वर्तमान राजस्व नक्शें में आराजी संख्या 1065 का रकबा बरारी करने पर 0.83 है0 ही बनता है जिससे आराजी संख्या 1065 की उत्तरी सीमा की लाईन को डिलीट करते हुए आराजी संख्या 1065 का जमाबन्दी मे दर्ज अनुसार रकबा 1.08 है0 की सीमा तक राजस्व नक्शे को दुरस्त किया जावे। आराजी संख्या 1234 का रकबा 1.00 है0 आराजी नम्बर 1065 के उत्तरी पूर्वी सीमा से पूर्व एवं आराजी संख्या 1083 की उत्तरी तरफ अंकित नक्शे अनुसार आराजी संख्या 1234 का रकबा 1.00 है0 बदस्तुर रेकार्ड यथावत रखा जावें। इसी अनुसार राजस्व नक्शे में दुरस्ती की जाकर अन्तिम डिक्री जारी हो। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

3.3.2020

**(सुन्दरलाल बम्बोडा)**
**सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)**
**रायपुर जिला भीलवाड़ा**

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.03.12 15:39:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: